राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

चौबीस लाख तीस हजार के नकली नोट सहित दो गिरफ्तार

जयपुर, 8 अक्टुबर। पुलिस कमिशनरेट जयपुर की सीआईयू टीम को दिनांक 07.10.18 को भारतीय जाली मुद्रा परिवहन करने की सुचना प्राप्त हुई थी। जिस पर सीकर रोड टाटियावास टोल नाके के पास CIU टीम प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त श्री महावीर सिंह मय टीम राजेश कुमार सउनि, द्वारका प्रसाद सउनि, पुरूषोतम सउनि, उदय सिंह हैड कानि, राजकुमार मांडिया कानि, कोमल सिंह कानि, मनेन्द्र सिंह कानि, चालक कानि. सुरेन्द्र सिंह तथा सहायक पुलिस आयुक्त वृत चौमूं श्री महावीर प्रसाद शर्मा, व थाना चौमूं जयपुर पश्चिम दातार सिंह उनि, पवन काजला हैड कानि, राकेश कुमार कानि की टीम द्वारा नाकाबंदी कर टाटिया वास टोल के पास आसू जेफ पुत्र रामनिवास जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी कृष्णा कालोनी गांव नया बास नीमकाथाना जिला सीकर को रोक कर चैक किया। जिसके कब्जे से 2000—2000 के नकली नोट कुल 24,30,000/— रूपये बरामद किये गये एवं बाद तफ़तीश मुल्जिम आसू जैफ को गिरफ़्तार किया गया।

प्रारम्भिक पूछताछ में नकली नोट आरोपी जयपुर मे असली के रूप मे चलाने के लिए लेकर जा रहा था। पूछताछ मे आरोपी द्वारा उक्त भारतीय जाली मुद्रा पुराना बास नीमकाथाना निवासी सुनिल कुमार मीणा पुत्र भगवानाराम मीणा से लाना ज्ञात हुआ। जिसको आज दिनांक 08.10.18 को नीम का थाना से दस्तयाब कर बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में गहन पूछताछ जारी है ।

उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही मे कानि. श्री मनेन्द्र सिंह न. 9162 की विशेष सराहनीय भूमिका रही है । बरामद जाली मुद्रा के संबंध मे पुलिस थाना चौमूं पर प्रकरण संख्या 540/18 धारा 489ए,बी,सी,डी,ई आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान जारी है ।

मुल्जिम – 1. आसू जैफ पुत्र रामनिवास मीणा उम्र 40 साल जाति मीणा निवासी

कृष्णा कोलानी नया बास नीमका थाना सीकर जयपुर !

2. सुनील कुमार पुत्र श्री भगवाना राम जाति मीणा उम्र 36 साल निवासी डांगी कालोनी वार्ड नम्बर 13 नीम का थाना जिला सीकर।